

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:- 44/2017

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

मथुरालाल पिता माधुलाल ब्राह्मण जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता हजारी तिवाड़ी जाति तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री लादूलाल पिता बरदीचन्द तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्री नन्दकिशोर पिता रामेश्वर तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्री राधेश्याम पिता देवालाल तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. श्री सत्यनारायण पिता कल्याण पुरोहित निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. श्री मैरूलाल पिता नाथुलाल तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. श्री भंवरलाल पिता प्यारचन्द तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
8. श्री मुरालाल पिता हजारी तिवाड़ी निवासी गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

—:आदेश:-

दिनांक: -11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 10.02.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गेगा का खेड़ा पटवार हल्का गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 239 की आराजी संख्या 779, 780, 789, 797, 800, 802 किता 6 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 240 की आराजी संख्या 781 रकबा 05 बिस्वा, खाता संख्या 241 की आराजी संख्या 722/1, 774, 776, 786, 792, 796 कुल किता 6 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातों/संयुक्त खातों की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू. अ. निरीक्षक आकोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम गेगा का खेड़ा पटवार हल्का गेगा का खेड़ा तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 239 की आराजी संख्या 779, 780, 789, 797, 800, 802 किता 6 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 240 की आराजी संख्या 781 रकबा 05 बिस्वा, खाता संख्या 241 की आराजी संख्या 722/1, 774, 776, 786, 792, 796 कुल किता 6 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिये कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 800/-रुपयें वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :-तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी करार सात घंटे में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाडा